अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर 0141–2227275, ई–मेल seprd1235@gmail.com

---

क्रमांक एफ 4 (1489) परावि/पीसी/NJM/Trg/2026/87001 जयपुर दिनांकः–यथाहस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद :– अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुझूनू, जोधपुर, करौली, खैरथल– तिजारा, कोटपूतली–बहरोड, नागौर, फलौदी, राजसमंद, सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक, उदयपुर।

विषयः जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत 'नल जल मित्र' (अप्रशिक्षित) एवं 'आरपीएल' (प्रशिक्षित) के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त सूचियों में पाई गई कमियों को दूर कर संशोधित सूची भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आपके द्वारा पीएचईडी के माध्यम से नल जल मित्र (NJM)एवं आरपीएल (RPL) प्रशिक्षण हेतु जो सूचियां विभाग को उपलब्ध कराई गई हैं, उनका परीक्षण करने पर पाया गया है कि वे भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं तय मापदंडों के अनुरूप नहीं हैं। अपात्र एवं कम योग्यता वाले अभ्यर्थियों को वरियता क्रम में ऊपर लिये जाने तथा तय मापदण्ड से अधिक अभ्यार्थियों की सूची प्रेषित किये जाने के कारण इन सूचियों को नलजल मित्रो के प्रशिक्षण हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) को भेजा जाना संभव नहीं है। आपके द्वारा प्रेषित सूचियों में पाई गई कमियां परिशिष्ठ 1 पर संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निम्नलिखित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर सूचियों का पुनः सत्यापन कर संशोधित एवं अंतिम सूची तत्काल तैयार की जानी सुनिश्चित करें :–

1. **चयन संख्याः** प्रत्येक ग्राम पंचायत से 1 अप्रशिक्षित नल जल मित्र एवं 1 प्रशिक्षित आरपीएल अभ्यर्थी की सूची भेजी जानी है। यदि प्रशिक्षित आरपीएल अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो उस स्थिति में केवल 2 अप्रशिक्षित नल जल मित्रों को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जा सकता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2026.09.18 19:19:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24601408
M e-Sign

2. **आयु सीमाः** नल जल मित्र (अप्रशिक्षित) के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तथा आरपीएल (प्रशिक्षित) अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है।

3. **नल जल मित्र (अप्रशिक्षित) हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता**: नल जल मित्र (अप्रशिक्षित) हेतु निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम तय करना है–

12वीं कक्षा उत्तीर्ण

या

10वीं के बाद सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा के तृतीय वर्ष में अध्ययनरत

या

10वीं कक्षा/आई.टी.आई. के साथ संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव

या

8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ 2 वर्ष का NTC प्रमाण पत्र तथा 2 वर्ष का कार्य अनुभव

या

एनएसक्यूएफ (NSQF) लेवल–3 (असिस्टेंट प्लंबर–जनरल, न्यूनतम 8वीं पास) के साथ संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव

या

एनएसक्यूएफ (NSQF) लेवल–4 (प्लंबर–जनरल, न्यूनतम 8वीं पास) के साथ संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव।

4. **इसी प्रकार आरपीएल (प्रशिक्षित) अभ्यर्थी हेतु योग्यताः** प्लंबिंग क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसे संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या प्रधान द्वारा मान्यता/प्रमाणित किया गया हो।

अतः अपने जिले से संबंधित पूर्व में भेजी गई सूचियों की समीक्षा कर, उपरोक्तानुसार निर्धारित योग्यताओं एवं मापदंडों को पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थियों की (प्रत्येक ग्रा0पं0 से केवल 2 नलजल मित्र) संशोधित व प्रमाणित अंतिम सूची हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में निम्न तालिका में अंकित तिथि के अनुसार संबंधित जिला परिषद कार्मिक को मुख्यालय पर व्यक्तिशः उपस्थित होना सुनिश्चित करावें ताकि इस अंतिम पात्र सूची को नलजल मित्रो के प्रशिक्षण हेतु RSLDC को प्रेषित किया जा सके। प्रशिक्षण में विलम्ब हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होगे–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2026.09.18 19:19:37 IST
Reason: Approved

क्र.स	नाम जिला	तिथि
1	अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, एवं जयपुर।	23.09.2026
2	जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुझूनू, जोधपुर, करौली, खैरथल– तिजारा, कोटपूतली–बहरोड, नागौर, फलौदी, राजसमंद, सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक एवं उदयपुर	24.09.2026

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पीएचईडी।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंरावि।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, पीएचईडी को भिजवाते हुए लेख है कि अपने अधीनस्थ कार्मिक को भी सूचियां संशोधित कराये जाने हेतु पाबंद करे।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, पंरावि।
6. जिला कलेक्टर संबंधित जिला।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सभी।
8. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सभी।

RajKaj Ref No.:
24601408
M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2026.09.18 19:19:37 IST
Reason: Approved